



ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
Prof. Krishna Kumar Singh
कार्यकारी कुलसचिव
Acting Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-251661
फैक्स / Fax : +91-7152-230903

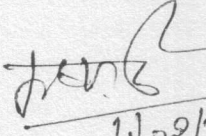
क्रमांक : 034/2014-15/Girls Hostel/10/Part-01/43
दिनांक 05.02.2019

कार्यालयादेश

संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय परिसर स्थित सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास में छात्राओं द्वारा विद्युत उपकरण जैसे-इंडक्शन स्टोव इत्यादि का उपयोग किया जा रहा है।

सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास में रह रही समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्रावास में उपरोक्त विद्युत उपकरणों का उपयोग न करें तथा छात्रावास हेतु लागू नियमों का पालन करें।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी किया जा रहा है।


(कुलसचिव) 4/02/19

प्रति-

समस्त छात्राएँ
सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास

प्रतिलिपि:

1. माननीय कुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ ।
2. माननीय प्रतिकुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ ।
3. वित्ताधिकारी ।
4. कुलानुशासक
5. छात्रावास अधीक्षिका, सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास ।
6. लीला प्रभारी (विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)
7. कुलसचिव कार्यालय
8. संबंधित फाइल